न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत दौलतपुरा

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2014/06 दायर दिनांक 25.06.2014

आवेदकगण		अनावेदकगण
1.हकीमन बानो पत्नि मुंशीखॉ 2.कासमखॉ पुत्र अस्तअलीखॉ 3.सरदारखॉ पुत्र अस्तअलीखॉ 4. मांगूखॉ पुत्र नसीरखॉ 5. दाउदखॉ पुत्र नसीरखॉ 6. अनवरखॉ पुत्र नसीरखॉ 7. सायरा बानों पुत्र नसीरखॉ समस्त,जाति–कायमखानी, निवासी–चौलूखॉ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भंवरलाल पुत्र रामदेवाराम, 2. श्रवणराम पुत्र रामदेवाराम, 3. जगदीश पुत्र रामदेवाराम, 4. प्रभुराम पुत्र रामदेवाराम, 5. छोटूराम पुत्र रामदेवाराम, समस्त जाति मेघवाल निवासी माणकसर तह. डीडवाना जिला नागौर राज 6. हकीमन बानो पत्नि मुंशीखॉ जाति–कायमखानी, निवासी–चौलूखॉ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए(1) R.T. Act.

उपस्थितः–

1. पक्षकारान् उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 12.06.2017

प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, आवेदकगण उपखण्ड डीडवाना में ग्राम चौलूखा पटवार हल्का चौलूखॉ के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।प्रार्थीगण की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 430 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 431 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 429 रकबा 20 बीघा, खसरा नम्बर 436 रकबा 20 बीघा 06 बिस्वा बारानी प्रथम ग्राम माणकसर पटवार हल्का चौलूखॉ तहसील डीडवाना में अवस्थित है।उक्त कृषि भूमि में आवागमन हेतु एक सुगम एवं सुलभ एवं कम दुरी का रास्ता अर्सा करीब 50–60 वर्षो से ग्राम माणकसर की आबादी से चलकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 419 में से होकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि में निरन्तर एवं निर्बाध रूप से चला आ रहा है।जिसको सल्गन ट्रेस नक्शा में बरंग सुर्ख लाल स्याही से प्रर्दशित किया गया है तथा उक्त रास्ते से एक रास्ता कृषि भूमि खसरा नम्बर 419 की रिकार्डेड खातेदार रामदेवाराम जो कि फौत हो चुका है के पुत्रगण भंवरलाल श्रवणराम जगदीशप्रसाद प्रभुराम व छोटूराम जाति मेघवाल निवासी माणकसर ने बिना किसी हक व अधिकार कें बन्द कर दिया है।इस कारण 50–60 वर्षो से निरन्तर एवं निर्बाध रूप से उपयोग व उपभोग में आ रहे रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु रास्ते के लिए आवेदन कर रहे है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रभावित खातेदारान को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत होने के लिए जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से जॉच व तथ्यात्मक रिर्पोट तलब की गयी। तहसीलदार डीडवाना द्वारा रिर्पोट अदालत में पेश की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या-2014/06
दायर दिनांक 25.06.2014 निर्णय दिनांक 12.06.2017
हकीमनबानो, वगैरा बनाम भंवरलाल, वगैरा।

तहसीलदार डीडवाना ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.07.2014 में प्रकरण में मौके का नजरी नक्शा अनुसार नया रास्ता प्रस्तावित किया है। उक्त रिपोर्ट के मुताबिक-खसरा नम्बर 430, 431, एवं 429 में आने जाने के लिए नजदीकी कटाणी रास्ता जो ग्राम माणकसर से बेमोठ जाता है, से पूर्व में प्रस्तावित रास्ता जो ख. न. 437 में जाने के लिए प्रस्तावित किया था से डोटेड कर मार्क ए से बी, एव बी से सी दर्शाया गया है।ख.न. 436 में से मार्क ए से बी की लम्बाई लगभग 90 गटटा है एव रास्ते की चौडाई 02 गटटा है।ख. न. 436 में से रास्ते का प्रस्तावित क्षेत्रफल 09 बिस्वा बनता है।ख.न. 429 में से मार्क बी से सी की लम्बाई लगभग 60 गटटा है एव रास्ते की चौडाई 02 गटटा है।ख. न. 429 में से रास्ते का प्रस्तावित क्षेत्रफल 06 बिस्वा बनता है।अतः रास्ते का कुल क्षेत्रफल 15 बिस्वा बनता है।

राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार कैम्प दौलतपुरा में प्रकरण पेश हुआ। आवेदकगण उपस्थित आये। आवेदकगण को सुना गया। आवेदकगण प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया।

शरहद माणकसर पटवार हल्का चौलूखाँ के खसरा नम्बर 430 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 431 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 429 रकबा 20 बीघा, खसरा नम्बर 436 रकबा 20 बीघा 06 बिस्वा में आवागमन हेतु नया रास्ता उपलब्ध कराए जाने की प्रार्थीगण मांग कर रहे हैं। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) उपधारा (1) में संशोधन होने के बाद एक काश्तकार को उसकी भूमियों में आने-जाने के लिए निकटतम रास्ता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट व उपलब्ध अभिलेख के अनुसार आवेदकगण की भूमि में आने-जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है। कृषि भूमि में आवागमन के लिए प्रार्थीगण को रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट के साथ पेश हुई नजरी नक्शा रिपोर्ट मुताबिक भूमि को रास्ते के लिए प्रस्तावित किया है। तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

-:: आदेश ::-

प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 430 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 431 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 429 रकबा 20 बीघा, खसरा नम्बर 436 रकबा 20 बीघा 06 बिस्वा वाके सरहद माणकसर में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट दिनांक 30.07.2014 के अनुसार, मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी से दर्शित लाईन को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करें। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर से व नियमानुसार आंकलन कर प्रभावित खातेदारान् को भूगतान की कार्यवाही करावें।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-दौलतपुरा

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 12.06.2017 को कोर्ट कैम्प- दौलतपुरा में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प- दौलतपुरा

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner